प्रकरण क्र. निगरानी / 2014

प्रस्तुती दिनांक : 07/04/2014

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केम्प, इन्दौर

ओंकारसिंह पिता बोदरसिंह
निवासी – ग्राम खाकरोड़ तहसील सांवेर
जिला इन्दौर

-- प्रार्थी / निगरानीकर्ता

विरूद्ध

श्रीमती लक्ष्मीबाई पति त्रिलोकचंद्र चौकसे
निवासी–49/2, मेघदूत नगर, इन्दौर -- प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

माननीय न्यायालय में यह निगरानी आवेदन माननीय अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा उनके न्यायालयीन प्र.क. 252 अपील/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 11.02.2014 के विरूद्ध निम्न आधारों पर नियत समयावधि में प्रस्तुत है –

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश–ग्वालियर

R -362-पीबीआर / 2014

17-7-2014

आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 11-2-2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि तहसीलदार द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया गया है । पंजीकृत विक्रय पत्र की जांच करने का अधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं है । तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा कब्जे के आधार पर नामांतरण पर स्थगन की आपत्ति प्रस्तुत की गई है, जबकि कब्जे के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती है और न ही मात्र व्यवहार वाद प्रचलित होने से नामांतरण की कार्यवाही रोकी जा सकती है । जब तक कि व्यवहार न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश नहीं जारी किया गया हो । व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है और व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार राजस्व न्यायालय द्वारा पुनः कार्यवाही की जा सकती है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है, जो कि हस्तक्षेप योग्य नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है।

(रवदीप सिंह)
अध्यक्ष